न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–220/2017

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम सुनील कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित

19/2/2020

आदेश

प्रस्तुत उत्पाद वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1771/गो0, (नगर पुलिस अधीक्षक का कार्यालय, दरभंगा) दिनांक 07.11.2017 से प्राप्त सदर थाना कांड सं0–407/17 दिनांक 18.10.2017 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन TVS स्कूटी रजि0 नं0–BR07Y-7469 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी है। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी उपस्थित हुए।

विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल को गुप्त सूचना मिली कि दोनार गाँधी नगर में सुनील कुमार, पे0–राजू महतो अपने घर में बड़ी मात्रा में अवैध विदेशी शराब रखे हुए है और इसका अवैध कारोबार कर रहे हैं। उक्त सूचना के सत्यापन हेतु सुनील कुमार के घर छापामारी किया तो घर के कमरे में छुपाया हुआ 375*ml* का 42 बोतल तथा 180*ml* का 37 बोतल रॉयल स्टैग विदेशी शराब बरामद हुआ तथा पूछने पर बताया कि स्कूटी से डिलेवरी करते हैं। इस प्रकार बरामद शराब एवं स्कूटी को विधिवत् जब्त किया गया। विद्वान् अधिवक्ता का यह भी कथन है कि जब्त स्कूटी से शराब बरामद नहीं हुआ है। अतः विधि सम्मत् आदेश पारित किया जा सकता है।

विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता उपस्थित होकर सुनवाई के क्रम में कथन है कि विपक्षी जब्त वाहन के स्वामी हैं। जब्त वाहन से शराब बरामद नहीं हुआ है। अतः जब्त वाहन को मुक्त करने की कृपा की जाय।

उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अभियुक्त के घर से शराब बरामद हुआ है। उक्त जब्त वाहन स्कूटी रजि0 नं0–BR07Y-7469 से शराब बरामद संबंधी तथ्य प्राथमिकी एवं पर्यवेक्षण टिप्पणी में अंकित नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उक्त स्कूटी से शराब बरामद नहीं हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय, पटना के विभिन्न वादों में पारित आदेश में निदेशित है कि वाहन से शराब बरामद नहीं होने पर उसे राज्यसात् नहीं किया जाना है।

अतएव सदर थाना कांड सं0–407/17 दिनांक 18.10.2017 में जब्त वाहन TVS स्कूटी निबंधन सं0–BR07Y-7469 को वाहन स्वामी द्वारा बंधपत्र, अंडरटेकिंग तथा वाहन के बीमित मूल्य के बराबर एक प्रतिभूति दाखिल करने के उपरान्त वाहन को विमुक्त करें।

अभिलेख पुनः दिनांक 17/3/20 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

D:\2020\Excise Order\Sunil Kumar 220-2017 (Release-DM).doc